

ब्रैह्मर राज्यव अधिकारप नाम २, छं ३, लघुत्तरे १४५१ मे
प्रकाशनम्

विस्त ग्राहण
राजस्थान विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष वर लोटी

अधिकारप वर्ष दिल्ली, १२ अक्टूबर १९७०.
आदेकर

का.आ. १०१ - केन्द्रीय प्रत्यक्ष वर लोटी, आदेकर अधिनियम, १९६।
१९६। का ५३ वी धारा २९५ वी उप धारा १। १। धारा प्रदत्त
शक्तिश औ लो प्रलोग करते हुए, आदेकर नियम, १९६२ का और
संशोधन करने के लिए विस्तरितिलिख नियम, लाना है, आदि:-

१. १। इन नियमों वा विभिन्न वा आदेकर संस्करणों से संतुल्य होनी चाहीय है।
नियम, १९७० है।
२। ये राज्यव मे प्रकाशन वा लारीब जो प्रयुक्त होये।

२. आदेकर नियम, १९६२ औंपरियाम II के प्रत्यक्ष लो । गी,-
१। कर भाग-II मे भाय वर विवरण से संतुलित,-
२। "व" भारतीय वा वृत्ति से लाभ और अभिभाव"
वीष वे अनीन,-

"ओ" "कामनी वी देखा गी" शब्दों वे आरंभ होये
ताते और "मह से ३ के लाभने आय" शब्दी,
अक्षरी और अन्य वे आय समाप्त होने वाले
प्रारंभिक भाव मे,-

अधार शीतःरथापित किए जाएंगे;

१३। मह १७ से लार आै ताले छीष्ठाै गे "धारा ५वल्य
और ^{धारा} ५वकल्पः" शब्दों और अधारों के स्थान पर "धारा
५वल्य, ^{धारा} ५वकल्पः और ५वकल्पः" गल्ह, और अधार रखे
जाएंगे;

१४। मह १९ और उसी रहंधित प्रतिष्ठित्यों तेरथान पर
निम्नतित्वित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"१९. यदि काषणी किती ऐसे लाल या लालिला मेरुदरा रथापार
के कारबाहु मेरु तभी हुई ती लिलों महें हुए आवत्त लालीय लाल स्पस
से अधिक ^{नहीं} हुई तो दूषया धारा ५वल्य तेरुप्राप्ति इन के किए निम्न-
तित्वित लम्बोंकारों^{धारा} हैं:

१५। ऐसे कारबाहु दे महें हुए आवत्तीः-----सा

१६। मह ३ मेरु सम्मिलित यह यह ऐसे कारबाहु के लाभः... सा

१७। जार मह १५ तेरुप्रतिष्ठित है सा मेरु मंत्र ॥११॥.....सा

20. तथा मह सी १७ या १८ या १९ पर दक्षित आयु त्रैमाणः
धारा ५वल्य या ^{धारा} ५वकल्पः या ^{धारा} ५वल्य के अधीन विनियोग रक्षाै रे
क्षम हैः

१८। मह सी १७ पर आयु धारा ५वकल्पः * हातही ।

१९। मह सी १८ पर आयु धारा ५वकल्पः * हातही ।

२०। मह सी १९ पर आयु धारा ५वकल्पः * हातही ।

* जो जायु न ही तरे हात ही लिए ।"

५॥ "ए. धारा ।।५अक के अधीन ३०% तकी लाग" श्रीष्ठि के अधीन मह ५ और उससे लैभित प्रतिष्ठित्यों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्था पित्र तिथा जाएगा,
अर्थात्:-

"६. (अनुनीत विश गरु प्रतिष्ठित वर और) धारा ।।५अक"
के अधीन/मुजरा छिस्त्रमयों के लागते ।

७॥ भाग-IV में कारवार या वृत्ति के लिए सुरोगत सूचना से लैभित मह ७ है स्थान पर निम्नलिखित रूप जाएगा,
अर्थात्:-

7. अध्याय 4 के अधीन दाता की अर्द्ध कटौतियाः

धारा	वैदि	रकम/रु.।	धारा	कौड़ि	रकम/रु.।
32 ।।१	430		35कग	439	
32 ।।२।	432		35गगक	440	
32क	433		35गगख	441	
33कछ	434		36।।१॥VII॥	445	
33छग	458		36।।१॥VII॥कर	449	
35 ।।१।	435		36।।१॥VII॥I	451	
35।।२क।।	436		37 ।।२।	447	
35।।२क्षु।।	450		37 ।।३।	448	
35।।कलर।।	449				

फ.स. 142/7/78-दीपीश्व
उम्पसूचना नं. 10720

१५८५।। १२.२१.१९८५

१५८५।। कल्पाकर रात्रि
आर रात्रि आर आर

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
PART II, SECTION 3, SUB SECTION (ii)

Ministry of Finance
Department of Revenue
(Central Board of Direct Taxes)

New Delhi, the 12th October, 1998

NOTIFICATION
INCOME-TAX

S.O. (E) - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Seventeenth Amendment) Rules, 1998.
(2) They shall come into force on their publication in the Official Gazette.
2. in Appendix II to the Income-tax Rules, 1962, in Form No.1,-
(a) in PART-II relating to statement of income,-
 - (i) under the head "B.PROFITS AND GAINS OF BUSINESS OR PROFESSION",
 - (A) in the opening portion beginning with the words "In case of the company" and ending with the words, letters and figure "income against item no. 3",
 - (i) for the words and figures "items 3 to 19", the words and figures "items 3 to 20" shall be substituted;
 - (ii) after the words, figures and letters "or section 44AE", the words, figures and letters "or section 44AF" shall be inserted;
 - (B) in the heading occurring above item 17, for word, figures and letters "sections 44AD & 44AE", the words, figures and letters "section 44AD, 44AE and 44AF" shall be substituted;
 - (C) for item 19 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"19. In case the company was engaged in the business of retail trade in any goods or merchandise, the total turnover on account of which did not exceed forty lakh rupees, please furnish the following information for the purposes of section 44AE:-

- (i) Total turnover on account of such business: Rs. _____
(ii) Profits of such business included in item 3: Rs. _____
(iii) Item (ii) as a percentage of Item (i) above: Rs. _____

20. Whether the income shown at item numbers 17 or 18 or 19 is less than the amounts specified under sections 44AD or 44AE or 44AF respectively?

- (a) Income at item number 17 (section 44AD): * Yes/No.
(b) Income at item number 18 (section 44AE): * Yes/No
(c) Income at item number 19 (section 44AF): * Yes/No

*Delete whichever is not applicable.";

(ii) under the head "H. 30% Book profits under section 115JA", after item 5 and entries relating thereto, the following shall inserted, namely,-


" 6. Details of tax credit carried forward and set-off under section 115JAA. _____";

(b) in PART-IV relating to information relevant to business or profession, for item 7, the following shall be substituted, namely:-

7. Deductions claimed under Chapter IV:

u/s	Code	Amount(Rs.)	u/s	Code	Amount (Rs.)
32(1)	430		35AC	439	
32(2)	432		35CCA	440	
32A	433		35CCB	441	
33AB	434		36(1)(vii)	445	
33AC	458		36(1)(viiia)	444	
35(1)	435		36(1)(viii)	451	
35(2AA)	436		37(2)	447	
35(2AB)	450		37(3)	448	
35(ABB)	449				

F.No.142/9/98-TPL
Notification No. 10720


(D. Karunakara Rao)
Under Secretary to the Govt. of India

Note:- The principal rules were published vide notification number S.O. 969 (E) dated 26.3.1962 and were last amended by Income-tax (16th amendment) Rules, 1998 vide Notification S. O. N0.889(E) dated 09.10.1998.